प्रति,

अध्यक्ष

उपभोक्ता वविाद नविारण आयोग

बैंगलोर, कर्नाटका

विषय: विक्रय विलेख और स्वामित्व अधिकारों के धोखाधड़ी परिवर्तन के संबंध में शिकायत मान्यवर,

मैं, हीह, बैंगलोर, कर्नाटका का निवासी, संबंधित प्राधिकरण के खिलाफ निम्नलिखिति मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ:

मामले के तथ्य:

- 1. मीरा देवी ने विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पंजीकरण से पहले उसमें धोखाधड़ी से परविर्तन किया गया था, जिसे साबित करने की आवश्यकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय . . बनाम राज्य हरियाणा
 (2012) में स्पष्ट किया गया है कि यदि दिस्तावेज़ में हेराफेरी होती है, तो वह अमान्य हो सकता है।
- 3. यदि मीरा देवी यह साबित नहीं कर पार्ती कि विलेख में परिवर्तन हुआ है, तो न्यायालय पंजीकृत विलेख को अंतिम मानते हुए उन्हें केवल 1/3 हिस्सा देने का निर्णय ले सकता है।
- 4. मीरा देवी को साक्ष्य एकत्रति करने, फोरेंसिक परीक्षण कराने और एक अनुभवी संपत्ति वकील से सलाह लेने की आवश्यकता है ताकि उनके दावे को मजबूत बनाया जा सके।

कानूनी आधार:

- 1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनयिम, 2019 की धारा 2(1)() "उपभोक्ता" को परिभाषित करती है, जो किसी व्यक्ति को संदर्भित करती है जो विचार के लिए वस्त्र या सेवाएँ खरीदता है। इस मामले में, मीरा देवी, संपत्ति की खरीदार के रूप में, उपभोक्ता के रूप में योग्य हैं और विक्रिय विलेख में किए गए किसी भी धोखाधड़ी परिवर्तन के लिए निवारण की मांग करने का अधिकार रखती हैं।
- 2. उपभोक्ता संरक्षण अधनियिम, 2019 की धारा 3 उपभोक्ताओं की अनैतिक व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा पर जोर देती है। यदि मीरा देवी यह साबित कर सकती हैं कि विक्रय विलेख को धोखाधड़ी से परिवर्ति किया गया था, तो यह एक अनैतिक व्यापार प्रथा है, जिससे वह अधिनियिम के तहत निवारण मांग सकती हैं।
- 3. उपभोक्ता संरक्षण अधनियम, 2019 की धारा 12 उपभोक्ताओं को किसी भी अनैतिक व्यापार प्रथा या सेवा में कमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार देती है। मीरा देवी शिकायत दर्ज कर सकती हैं यदि वह यह प्रदर्शति करती हैं कि विक्रय विलेख में परिवर्तन के कारण विक्रेता से सेवा में कमी आई है।
- 4. उपभोक्ता संरक्षण अधनियिम, 2019 की धारा 14 उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध विभिन्न निवारणों को रेखांकित करती है, जिसमें अनैतिक व्यापार प्रथाओं के कारण हुए नुकसान या चोट के लिए मुआवजे की मांग करने का अधिकार शामिल है। यदि मीरा देवी अपने मामले को सफलतापूर्वक साबित करती हैं, तो उन्हें धोखाधड़ी के कार्यों के लिए संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार हो सकता है।

प्रार्थनाएँ:

उपरोक्त के आलोक में, मैं अत्यंत वनिम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि:

1. यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायालय मीरा देवी को विलेख में किए गए धोखाधड़ी के परविर्तन को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे, और इसके लिए 30 दिनों का समय

नरि्धारति करे।

- 2. यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायालय विलेख की मूल प्रति और अन्य संबंधित दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच के आदेश दे, ताकि धोखाधड़ी की पुष्टि की जा सके।
- 3. यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायालय मीरा देवी को पूर्ण भूमि का स्वामित्व प्रदान करने का आदेश दे, यदि वह विलेख में हेराफेरी के साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल होती हैं।

संलग्न दस्तावेज्:

- 1. मूल विक्रय वलिख की प्रति
- 2. पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
- 3. गवाहों के बयान/गवाही के रिकॉर्ड
- 4. फोरेंसिक रिपोर्ट (हैंडराइटिंग और इंक विश्लेषण)
- 5. संबंधित कानूनी मामलों के निर्णयों की प्रतियां (जैसे और ..)
- मैं घोषणा करता हूँ क उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख: 18 मई, 2025

स्थान: बैंगलोर, कर्नाटका

आपका वशि्वासी,

हीह

संपर्क: 1234567890 पता: बैंगलोर, कर्नाटका